संख्या–901 / 33–3–2013–73 / 2012

प्रेषक,

माजिद अली
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

(1198)
जि0 पं0 रा0 अ0 (मु0)(A)

निदेशक
2013

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2013

विषयः–भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–884 / 33–3–2013–73 / 2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल दिये जाने हेतु योजना के स्वरूप का निर्धारण किया गया है, जिसके प्रस्तर–9 में यह उल्लेख किया गया है कि आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा आपूर्ति की जाने वाली साड़ी / कम्बल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं कार्य योजना को पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत एक दिशा–निर्देश भी अलग से जारी किया जा रहा है। उक्त के कम में जनपद में वितरित की जाने वाली साड़ी एवं कम्बल की गुणवत्ता एवं कार्य योजना को पारदर्शी बनाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

1– **आपूर्तिकर्ता का सप्लाई प्लान** :– आपूर्तिकर्ता संस्था अपना सप्लाई प्लान तथा आपूर्ति किये जाने वाली साड़ी / कम्बल की मात्रा तैयार कर संबधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0 (यूपिका), उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम तथा निदेशक, पंचायती राज / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगा। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता तथा जिले का कोड नम्बर अलग–अलग होगा, जिसे निदेशक, पंचायती राज / नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

2– **लाट** :– एक लाट आई0एस0ओ0 2859–1 में निहित प्रावधान के अनुसार साड़ी की एक लाट 10,000 पीस की होगी। दस हजार साड़ियों में से अलग–अलग दो सौ साड़ियों की एक गांठ / पार्सल बनायी जायेगी। इसी क्रम में 25–25 कम्बलों की एक गांठ / पार्सल बनायी जायेगी तथा कम्बलों की लॉट 2500 पीस की होगी। इस प्रकार 50 पार्सल में से रैण्डम प्राथमिक परीक्षण, परीक्षण दल द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक लॉट पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लाट की संख्या, जनपद का नाम तथा उस लाट की पार्सलों / गांठों पर क्रम संख्या अंकित करेगा जैसा कि एक नमूना नीचे दिया जा रहा है :–

(क) जनपद का नाम व कोड नम्बर–
(ख) लाट संख्या–

(ग) गांठ संख्या–
(घ) डिस्पैच का दिनांक (परीक्षण के बाद)–
(ङ) आपूर्तिकर्ता का नाम व पता–
(च) आपूर्तिकर्ता का कोड नम्बर–
(छ) पैकेट/गांठ में रखी गई कुल साड़ियों की संख्या–
(ज) पैकिंग की तिथि–
(झ) कुल डिजाइनों की संख्या–

प्रत्येक आपूर्तिकर्ता तथा जिले का कोड नम्बर अलग–अलग होगा। इसलिए अलग–अलग जिलों को माल भेजने से पहले गांठ एवं लाट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। साड़ी एवं कम्बल से अधोमानक माल अस्वीकार कर दिया जायेगा इसलिए जनपदवार, लॉटवार अलग–अलग पहचान बनी रहनी चाहिए।

3– **पार्सल बनाना:–** आपूर्तिकर्ता जिस गोदाम में गांठ बनाकर रखेगा उसकी प्रत्येक गांठ में मुद्रित सूची चस्पा करेगा, जिसमें गांठ संख्या, डिजाइन संख्या और जनपद का नाम जहां जाना है तथा अन्य विवरण जो उचित समझें, का उल्लेख हो जिससे परीक्षण दल को यह ज्ञात हो सके कि गांठ के अन्दर क्या चीज रखी है। आपूर्तिकर्ता 200 साड़ियों की गांठ/पार्सल बनायेगा और एक लाट में 10,000 पीस होंगे एवं 25 कम्बल की गांठ/पार्सल बनायेगा और एक लाट में 2500 पीस कम्बल होंगे।

4– आपूर्तिकर्ता गोदाम के कई उप खण्ड बनायेगा उसका पार्टीशन करके इसे हाल में रखेगा जिसमें एक चैम्बर में साड़ियों के 10,000 पीस (50 गांठ/पार्सल) का एक चट्टा अलग रखेगा जिसके चारों तरफ सर्कुलेशन एरिया रहे ताकि रैण्डम सैम्पलिंग की जा सके। एक लाट से दूसरी लाट के बीच अस्थाई विभाजन भी करना होगा जिससे सैम्पल रिजेक्ट होने पर दूसरा रिप्लेस किया जा सके। प्रत्येक गांठ/पार्सल की संख्या भी मुद्रित होनी चाहिए। इसी प्रकार एक चैम्बर में कम्बल 2500 पीस गांठों का चट्टा रखा जायेगा तथा अन्य व्यवस्था उपरोक्तानुसार की जायेगी।

5– सामान्यत: एक–एक ट्रक में लोड होने वाले कम्बल एवं साड़ियों के चैम्बर भी गोदाम में आपूर्तिकर्ता बनायेगा जिसमें सैम्पलों को सील किया जा सके। यदि आपूर्तिकर्ता चाहे तो कई छोटे–छोटे गोदामों का भी उपयोग कर सकता है क्योंकि एक बार आफर की गयी मात्रा में से सैम्पल ड्रा के बाद गोदाम को सील कर दिया जायेगा, जिससे आपूर्तिकर्ता को दूसरे गोदाम की व्यवस्था बनी रहे।

प्रि–डिस्पैच के समय दृष्टिगत परीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच हेतु सैम्पल का प्रेषण:–

1– गठित परीक्षण दलों द्वारा सैम्पल में ली गयी साड़ियों की एक लॉट से रैण्डम आधार पर 50 साड़ी एवं कम्बलों की एक लाट से 40 कम्बल रैण्डम आधार पर निकाले जायेंगे व परीक्षण पश्चात "प्रारूप–ए" पर आख्या तैयार की जायेगी तथा साड़ी एवं कम्बलों, जिनका परीक्षण हो चुका है, में से 3–3 साड़ी एवं कम्बल के नमूने के रूप में अलग कर लिये जायेंगे तथा शासन द्वारा अनुमोदित शासकीय प्रयोगशाला को सील कर भेजे जायेंगे।

अनुमोदित शासकीय प्रयोगशालाओं का पता निम्नवत् है :—

साड़ियों हेतु —

(1) वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला,केन्द्रीय रेशम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, वाराणसी।

(2) नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसियेशन (निट्रा), राजनगर, गाजियाबाद।

(3) सरमीरा, मुम्बई ।

(4) मन्त्रा, सूरत ।

(5) अटीरा, अहमदाबाद।

(6) विट्रा, मुम्बई।

कम्बल के लिए:—

(1) ऊल रिसर्च एसोसियेशन, थाणे, महाराष्ट्र।

(2) टेक्सटाइल कमेटी लैब, कानपुर ।

(3) टेक्सटाइल कमेटी लैब, लुधियाना ।

2— सील किये जाने वाले नमूने के चारों कोनों पर चेकर की मोहर लगायी जायेगी तथा नमूने के ऊपर आलपिन से कोडिफिकेशन का टैग नत्थी किया जायेगा जिसके ऊपर आपूर्तिकर्ता एवं परीक्षण दल का सदस्य हस्ताक्षर करेगा। कोडिफिकेशन के टैग का नमूना यूपिका/यू0पी0हैण्डलूम कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3— नमूनें हेतु लिये गये तीन पीस में से एक पीस परीक्षण दल अपने पास सुरक्षित रखेगा जो मुख्यालय लौटने पर निदेशक, पंचायती राज/नोडल अधिकारी को उसके रिफरेन्स के लिए रखेगा, शेष 2 पीस नमूने कोडिफिकेशन पर टैग लगाकर आपूर्तिकर्ता तथा स्वयं के हस्ताक्षर करके एक पैकेट सील किया जायेगा और शासन द्वारा अनुमोदित शासकीय प्रयोगशाला में लैब टेस्टिंग के लिये भेजा जायेगा।

4— प्रत्येक आपूर्तिकर्ता का कोड नम्बर निदेशक, पंचायती राज/नोडल अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा। टैग पर किसी भी आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम नही लिखा जायेगा।

5— सैम्पल ड्रा के पश्चात आपूर्तिकर्ता दुबारा गांठ बांधेगा एवं उस पर एक स्लिप लगायेगा जिस पर निम्न बातें लिखी जायेंगी :—

गांठ सं0	लाट सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	गांठ में रखी गयी कुल साड़ियों/कम्बल की संख्या	कुल डिजाइनों की संख्या	पैक करने की तिथि	जनपद जहां भेजा जाना है	साइज

6— परीक्षण दल सैम्पल सील करके निर्धारित लैब प्रभारी को प्राप्त करायेगा और प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखेगा।

7—(क) प्रथम परीक्षण दल द्वारा आपूर्ति के समय केवल प्रारम्भिक परीक्षण किया जायेगा। जैसे— लाट की संख्या, उस लाट से सम्बन्धित पार्सल की संख्या, साड़ी / कम्बलों की संख्या, गांठ के ऊपर चिप्पी ठीक ढंग से लगी है आदि।

(ख) परीक्षण दल यह भी देखेगा कि एक गांठ में एक ही डिजाइन के अलग—अलग रंगों वाली साड़ियां एवं कम्बल की गांठ में कम्बल की ठीक से पैकिंग की गयी हैं।

8— परीक्षण दल द्वारा जिन साड़ियों / कम्बल के सैम्पल के आधार पर परीक्षण किया जायेगा, उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें देखी जायेंगी :—

(क) प्रत्येक गांठ में कुल कितनी साड़ियां / कम्बल हैं (उन पर लगी चिप्पी के आधार पर तथा 5 गांठें खुलवाकर गिनवायेगा)

(ख) ड्रा किये गये सैम्पल की लम्बाई, चौड़ाई (साड़ी की दशा में बार्डर की चौड़ाई) वजन व प्रिन्ट कवरेज आदि नापेगा एवं निर्धारित प्रपत्र पर अंकित करेगा।

(ग) परीक्षण किये गये नमूनों में छेद, कटा—फटा, छीरा या अन्य कोई कमी पाये जाने पर उसको आपूर्तिकर्ता से रिप्लेस करायेगा।

(घ) प्रत्येक लाट पर जो स्लिप लगी है वह सही है या नहीं।

(ङ) यदि किसी गांठ में एक से अधिक डिजाइन पैक कर दी गयी है तो उसका उल्लेख आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

9— लैब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सम्पूर्ण लाट मानक के अनुसार सन्तोषजनक है, तो लोडिंग का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित जनपद हेतु अपने व्यय पर कराया जायेगा। ट्रकों के रवाना होने पर आपूर्तिकर्ता निदेशक, पंचायतीराज विभाग तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी को इसकी सूचना भी देगा।

10— मानक के अनुरूप किये गये दृष्टिगत परीक्षण तथा लैब टेस्टिंग के बाद किन—किन परिस्थितियों में लाट स्वीकार कर ली जायेगी और किन—किन परिस्थितियों में लाट अस्वीकार कर दी जायेगी, का विवरण अधोलिखित है।

<u>लाट के लिए पास—फेल का मानक</u> —

निर्धारित मानक में अनुमन्य टॉलरेन्स के अतिरिक्त कोई भी छूट देय न होगी। सैम्पल के लैब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सैम्पल फेल होता है तो पूरी लाट अस्वीकार कर दी जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता नई लाट भेजेगा। लाट भेजने एवं हटाये जाने का व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। किसी भी आपूर्तिकर्ता लाट का सैम्पल यदि निर्धारित मानक के अनुसार तीन बार फेल हो जाता है तो आपूर्ति रोक दी जायेगी तथा आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

पोस्ट डिस्पैच परीक्षण

आपूर्ति की गयी साड़ी/कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा एक पोस्ट डिस्पैच परीक्षण दल का गठन किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0 (यूपिका) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के एक तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। पोस्ट डिस्पैच परीक्षण दल द्वारा गुणवत्ता की रेण्डम चेकिंग की जायेगी, जो निम्नवत होगी :-

1- जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को निर्धारित किये गये गोदामों की सूचना उन्हें फैक्स पर पहले उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे ट्रकों के पहुंचने में कोई असुविधा न हो।

2- जनपदों में माल की आपूर्ति होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी माल की गांठों को निर्दिष्ट किये गये गोदाम से गिनवाकर रखेगा तथा ट्रकवार गणना भी अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

3- जिलाधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा साड़ियों/कम्बलों का सत्यापन एवं दृष्टिगत परीक्षण किया जायेगा :-

(क) आपूर्तिकर्ता से कुल कितनी मात्रा में साड़ी/कम्बल मिले।
(ख) कुल लाटों की संख्या।
(ग) लाट के अनुसार एक-एक लाट में निर्धारित गांठे उपलब्ध हैं।
(घ) प्रत्येक बण्डल खोलकर साड़ियों/कम्बलों की गणना की जायेगी।
(ङ) जनपद में माल के भौतिक सत्यापन में आई कमियों एवं परीक्षण के समय मात्रा में कम, कटे-पिटे, छोटे, डैमेज, के रूप में जितने पीस प्राप्त होंगे उनको आपूर्तिकर्ता द्वारा रिप्लेस किया जायेगा या मानक के अनुसार न पाये जाने पर लाट अस्वीकार किया जायेगा।

4- दृष्टिगत परीक्षण के लिए पास-फेल क्राइटेरिया :

4.1 प्रत्येक गांठ से 4 पीस निकाल कर उसमें से एक पीस को संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित 7 मानकों पर परीक्षण किया जायेगा।

4.2 जो पीस सभी मानकों पर विशिष्टियों के अनुरूप है, के लिए प्रत्येक कालम में 'ए' लिखा जायेगा एवं पास माना जायेगा।

4.3 जो पीस टॉलरेन्स की सीमा में है, प्रत्येक कालम में 'बी' लिखा जायेगा।

4.4 जो पीस मानक तथा टालरेन्स दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तथा अधोमानक है, के लिए प्रत्येक कालम में 'सी' लिखा जायेगा।

4.5 यदि कोई पीस 1 मानक में 'सी' पाता है तो पूरी गांठ अस्वीकार कर दी जायेगी।

5- परीक्षण दल की रिपोर्ट उपरोक्तानुसार प्राप्त होने पर उसे क्रय समिति के समक्ष रखा जायेगा और आपूर्ति मानक के अनुसार पाये जाने पर वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे साडी/कम्बल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ–साथ कार्य योजना को पारदर्शी बनाया जा सके।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10– डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर–4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11– सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0सिंह)
अनु सचिव।

प्रपत्र - A

प्रपत्र-'A'

आपूर्तिकर्ता के गोदाम स्तर पर निरीक्षण दल का प्रपत्र

जनपद का नाम :-

लाट नम्बर :- आपूर्तिकर्ता का नाम/कोड न0

निरीक्षण दिनांक :-

क्रम सं0	गांठ संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	वजन	इण्डस प्रति इंच	पिक्स प्रति इंच	बार्डर की चौड़ाई एवं गन्तु	रंगों की संख्या	अन्य
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									